न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 38/20

जीसीएमएस संख्या 2020/00083 सन् 2020

बउनवानी–1.देशराज पुत्र माधोलाल, 2. बत्तीलाल पुत्र माधोलाल जाति मीना निवासी ग्राम तिन्दू तह0 चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 13–14/2020 निर्णय दिनांक 24.7.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर — वकील अपीलान्ट

2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :–

दिनांक 09.04.2021

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 13–14/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.7.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2077 में वाके ग्राम तीन्दू तहसील चौथ का बरवाडा की गै0मु0नाली भूमि आराजी ख0न0 464 रकबा 0.03 है0–0.03 है0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है क्योकि नोटिस की प्रोपर तामील नही करवायी गयी है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी जबकि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है उक्त भूमि पर हनुमान का कब्जा है किन्तु मेरे खिलाफ पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूॅठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित किया है जिसमे अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत जारी नोटिस मे 31.7.2020 सुनवायी हेतु नियत थी किन्तु इससे पूर्व दिनांक 24.7.2020 को ही सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही न्यायिक सिद्धान्तों [illegible]ाकर अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके [illegible] समीक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहॉ तक अपीलान्ट [illegible] का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति [illegible] के कियान्वयन में मौके [illegible]तिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चात[illegible] अतिक्रमी नहीं माना [illegible]ता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नही माना जा सकता है। क्योंकि इसमें अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की अपीलान्ट बत्तीलाल से विधिवत करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहेत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की तलवी हेतु जारी नोटिस की अपीलान्ट बत्तीलाल से करवायी गयी तामील से हो जाती है। किन्तु पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानो के आधार पर नही की जा सकती है, क्योकि पत्रावली पर अपीलान्ट को उक्त भूमि पर से पूर्व मे बेदखल किये जाने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण एवं पूर्व मे पारित निर्णय से संबंधित कोई दस्तावेज नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट क़ब्जा छोडने की शर्त पर सजा की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर सजा की सीमा तक स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट इस आशय का अण्डर टेकिंग नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत करे कि ख0न0 464 रकबा 0.03 है वाके ग्राम तीन्दू पर से पूर्णतया अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य मे उक्त खसरा नम्बर पर स्वंय अपीलान्ट या उसका कोई परिवारजन अतिक्रमण नही करेगा। अण्डर टेकिंग मे अंकित कथन की जॉच नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा स्वंय मौके पर जाकर करें। दौराने जॉच यह सुनिश्चित करे कि मुताबिक अण्डर टेकिगं अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना कब्जा पूर्णतया हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील सें दी गयी सजा माफ समझी जावे। यदि वर्तमान मे भी अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो गत निर्णय की प्रति, बेदखली आदेश की प्रति इत्यादि को रिकार्ड पर लेते हुए उक्त दोनो आदेश जैर अपील से दी गयी सजा यथावत रखी जावे। शेष बेदखली व वसूली बाबत पारित आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर